Sixteenth Loksabha

an>

Title: Need to extend risk cover to agriculture loan on the lines of commercial loan.

श्री धर्मवीर (भिवानी-महेन्द्रगढ़)ः मैं सरकार के संज्ञान में एक ऐसा मुद्दा लाना चाहता हूँ जिसमें भारत की लगभग 80 प्रतिशत जनसंख्या कवर होती है। उस 80 प्रतिशत जनसंख्या को हम किसान कहते हैं। किसान को लेकर हर बार सदन में चर्चा होती है। लेकिन सुधार आज तक नहीं, आखिर क्यों, बार-बार देश में एक आवाज उठाई जाती है कि कृषि को केवल आजीविका का साधन न समझा जाए बल्कि किसान के भले के लिए इसको व्यवसायिक कृषि में बदला जाए, जिससे कि किसान का उत्थान हो सके, तो क्यों न किसान के कर्ज को भी व्यवसायिक कर्ज के फायदों से जोड़ा जाए। किसान के द्वारा लिए गए बैंक लोन NPA घोषित किया जाए क्योंकि खेती आज गैरलाभकारी व्यवसाय है।

हाल ही में हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने हरियाणा राज्य के अलग-अलग जिलों के किसानों पर एक सर्वे किया है जिसमें किसान को गेहूँ की फसल पर एक साल में सिर्फ 4799 रूपये प्रति एकड़ एवरेज तक बचत होने की बात सामने आई। यह बचत जुताई-बिजाई से लेकर मंडी तक खर्च करने के बाद है। पानीपत जिले में सिर्फ 1354 रूपये और रोहतक के किसान की सालाना बचत प्रति एकड़ मात्र 1747 रूपये है। यह बड़े दुःख की बात है कि एक कृषि प्रधान देश के किसान की सालाना बचत इस महंगाई के दौर में मात्र 1354 रूपये। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र भाई मोदी जी का भी सपना हे कि 2022 तक किसान की आमदनी को दोगुना किया जाए।